संचिका संख्या : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०-10-02/2024/ 29(स्वी०) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक 18/7/2026

विषय : षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹2,00,00,00,000.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। इसी क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 द्वारा कुल ₹41,71,16,00,000.00 (इकतालीस अरब इकहत्तर करोड सोलह लाख रूपये) मात्र की राशि की लागत से 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. इस पंचायत सरकार भवन का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत सरकार भवन का उपयोग बाढ़ एवं आपदाओं में भी किया जा सकेगा।

सामान्य क्षेत्रों में निर्मित होने वाले पंचायत सरकार भवनों का कुल क्षेत्रफल 6598 Sqft एवं इसकी प्रति भवन प्राक्कलित राशि ₹1,99,92,000.00 (एक करोड़ निन्यानवे लाख बानवे हजार रूपये) मात्र निर्धारित है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित होने वाले पंचायत सरकार भवनों का कुल क्षेत्रफल 8924 Sqft एवं इसकी प्रति भवन प्राक्कलित राशि ₹2,86,30,000.00 (दो करोड़ छियासी लाख तीस हजार रूपये) मात्र

P.T.O —

निर्धारित है। उक्त विभागीय संकल्प द्वारा 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित है। उक्त के आलोक में LAEO द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों के लिए कुल 3127.231 करोड़ मात्र की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

3. उक्त वस्तुथिति के आलोक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि में से कुल ₹2,00,00,00,000.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नरूपेण बजट शीर्ष से की जायेगी :–

राशि रूपये में

मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001980009	"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	2000000000.00
कुल : (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र			2000000000.00

5. इस स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No–PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे।

7. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6th SFC 2026-27\sanction order.docx17

8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ 178/टि० दिनांक 15.07.2026. पर प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024 के पृष्ठ 179/टि० पर दिनांक 17.07.2026 को प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

18/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/ 29(टी०) /पं०रा० पटना दिनांक 18/7/26

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/ 29(टी०) /पं०रा० पटना दिनांक 18/7/26

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02/2024/ 29(टी०) /पं०रा० पटना दिनांक 18/7/26

प्रतिलिपि : सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/26

(नजर हुसैन)
विशेष सचिव

Amit

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6th SFC 2026-27\sanction order.docx18

P.T.O —

ज्ञापांक : 5प / षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02 / 2024 / 291(स्था०) / पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प / षष्ठम् रा०वि०आ०–10–02 / 2024 / 291(स्था०) / पं०रा० पटना दिनांक 22/7/26
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग / सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा–05 एवं 06 के प्रभारी पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/26
विशेष सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6th SFC 2026-27\sanction order.docx19